

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नथर प
जो इस हुकम
में जारी है

21/02
25

पत्रावली पैरा हुई। प्रार्थी परीकार संस्करण उप-
मूल प्रार्थना पत्र धारा 177 RTA स्वीकार
किया जा चुका है। जिससे उक्त T.I. प्रार्थना
पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने से
उक्त T.I. प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली कैसल शुमार टैकर नम्बर से कम हो



3
सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली